ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177023 के

लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025

भाग–एक

1. **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहेः–

प्रधान :–

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री कमलजीत	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव :–

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	बन्दना कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र॰ सं॰	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	8.22
2	8.1	खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान	5.89

3	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी.टी.डी.एस.की कटौती न करना	0.09
4	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना	0.22
5	9.2	खपत से अधिक जारी मात्रा के पारदर्शी लेखांकन के अभाव में सामग्री का दुर्विनियोजन	0.21

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर का यह प्रथम अंकेक्षण है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री पुनीत कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 06.05.2025 से 08.05.2025 तक ग्राम पंचायत पटनौन के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2024—25	08/2024	05/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस ***अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4,800 (14 वें व 15 वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित)

बनता है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 47/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित, टौणी देवी, हमीरपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या केएए 275659 दिनांक 20.05.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4. वित्तीय स्थितिः–

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर दिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (13) रोकड़ बहियों सभी (online) अर्थात स्वः स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम(एस.डी.पी.), सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना,विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन PFMS, केन्द्रीय राहत कोष, नेशनल अर्बन रूरल हैल्थ मिशन, मुख्यमन्त्री आवास योजना, विकास में जन सहयोग, बालिका गौरव पुरस्कार योजना, 15 वाँ वित्तायोग व मनरेगा का रख–रखाव किया गया था।

(1)(क) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की स्वः स्त्रोत व अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024–25	600612.00	90507.90	691119.90	86537.00	604582.90

(ख) अन्य अनुदानः– ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024–25	1448027.26	5805314.50	7253341.76	6431147.70	822194.06

15 वाँ वित्तायोग की वित्तीय स्थिति अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025					
वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024–25	546624.40	635622.00	1182246.40	658489.46	523756.94

(ग) **संकलित वित्तीय स्थितिः**— ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:—

संकलित वित्तीय स्थिति अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025						
निधि का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
स्वः स्त्रोत	2024—2025	600612.00	90507.90	691119.90	86537.00	**604582.90**
15 वाँ वित्तायोग	2024—2025	546624.40	635622.00	1182246.40	658489.46	**523756.94**
अन्य अनुदान	2024—2025	1448027.26	5805314.50	7253341.76	6431147.70	**822194.06**
	संकलित वित्तीय स्थिति का कुल अन्तिम भोश (604582.90+523756.94+822194.06)					**1950533.90**

(2) दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत पटनौन, विकास खण्ड बमसन (श्री टौणी देवी जी) जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र॰ सं॰	खाता विवरण			अन्त शेष (₹)
	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	
1	खाता 'क' (स्वयं स्त्रोत)	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक श्री टौणी देवी जी	20089005916	604452.90
2	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक श्री टौणी देवी जी	20089009342	87447.00
3	विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम(एस.डी.पी.)	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक पंजोत	50059054229	7495.80
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक पंजोत	50059595509	20602.00
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक श्री टौणी देवी जी	50052466489	19479.60
6	केन्द्रीय राहत कोष	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक श्री टौणी देवी जी	50052466503	9173.86
7	नेशनल अर्बन रूरल हैल्थ मिशन	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक पंजोत	50059595509	0.00
8	मुख्यमन्त्री आवास योजना	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक श्री टौणी देवी जी	50052466081	2054.00
9	विकास में जन सहयोग योजना	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक श्री टौणी देवी जी	50052466478	5739.00

10	बलिका गौरव पुरस्कार योजना	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक पंजोत	50075672167	670202.80
11	15 वाँ वित्तायोग	कांगड़ा राज्य सहकारी बैंक पंजोत	50072031374	523756.94
12	हस्तगत राशि स्वयं स्त्रोत			130.00
	कुल योग (1) से (12)			1950533.90

(3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार :—

(1)	स्वंय स्त्रोतः— दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	604582.90
(2)	15 वें वित्तायोगः— दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	523756.94
(3)	अनुदान :— दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	822194.06
(4)	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की रोकड़ बहियों का कुल अन्तिम शेष	**1950533.90**
(5)	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत के बैंक खातों/पैरा 4(2) के अनुसार विभिन्न बचत खातों का कुल अन्तिम शेष	**1950533.90**
(6)	अन्तर	**0.00**

5 सावधिक निवेशः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्वः स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत का अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव करके, स्वः स्त्रोत मे आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख–रखाव भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

6. अनुदानः–

6.1 अनुदान राशि ₹8.22 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट–1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹8,22,194.06**/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दी गई अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए है एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए गए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएगें।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव पंचायती राज विभाग, हि.प्र. शिमला –9 के पत्र संख्या पीसीएच–एच ए (5) सी 15313/89–4614–4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए है तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रकिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य, कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे/एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की गई थी अथवा नहीं?

अतः उक्त आदेश स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्वः–

7.1 पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट**–2 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान गृहकर की वसूली हेतु कोई राशि शेष नहीं थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष(₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर(₹)	माँग(₹)	कुल योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2024–25	0.00	493	50	24650.00	24650.00	24650.00	0.00

अतः भविष्य में भी इस अच्छी कार्य प्रणाली को बनाए रखने का प्रयास किया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–को सरकारी कोष में जमा न करवाना।

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि• प्र•विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित आय लेखा शीर्ष 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त **₹**400/–की राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है.

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 06.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में

वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹400/–को राजकीय कोष में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

8. **व्ययः—**

8.1 आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹5.89 लाख का अनियमित भुगतान करनाः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियमावली 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत दण्ड शुल्क के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के निर्देशानुसार व माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार अब संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (कॉन्ट्रैक्टर्स/वेंडर्स) से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा केवल वैध ट्रांजिट फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त नहीं किये थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को संलग्न **परिशिष्ट–4** अनुसार ₹5,88,800 का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 06.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव, द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से सूचित किया गया कि "नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त वर्णित ₹5,88,800/– राशि से सम्बन्धित फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हे भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म की अनुपस्थिति में अंकेक्षणावधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः ₹5,88,800 राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2 % जी. एस.टी. की कटौती न करने के कारण ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/LocalAuthority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति फर्म, को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000/– से अधिक राशि का भुगतान करने पर 2% (1% सी.जी.एस.टी.तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति एवंम 2% आई.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट–5** अनुसार राशि ₹4,65,108/– (जी.स.टी.के अलावा) का भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि ₹9,302.16/– की 2% जी.एस. टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 06.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ₹4,65,108/– की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार **₹9,302.16** जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए,तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग के जिलाधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्यों पर व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँ:–

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.22 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5)द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान **परिशिष्ट–6** में दिये गये विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹**22,041 की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹22041** की औपचारिकताएँ पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी" प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के प्रतिकूल एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः औपचारिकताएँ को पूर्ण न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये एवं भविष्य में भी बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 खपत से अधिक जारी निर्माण सामग्री के पारदर्शी लेखांकन के अभाव में राशि ₹0.21 लाख की सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत का प्रधान और सम्बद्व पंचायत का सचिव पंचायत निधि से उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्वान्तों का अनुपालन करेगें तथा सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान नेशनल अर्बन रूरल हैल्थ मिशन शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण में पाया गया कि शटरिंग के कार्य के रूप में अधिक राशि का भुगतान किये जाने के कारण निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार **₹21,495/**–राशि का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–7** पर भी दिया गया है:–

(1)कार्य का नाम :—निर्माण शौचालय व सुरक्षा दीवार नजदीक स्वास्थ्य क्रेन्द्र पटनौण :-				
स्वीकृत राशि :- ₹5,91,496				
व्यय :- ₹5,91,496				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित मात्रा (वर्ग मीटर)	रूपांतरण कारक	बजरी (वर्ग फुट)
3520 56 से 61	शटरिंग	214.02	10.76	2303
योग				**2303**
बिल संख्या 90 व 91 के अनुसार कार्य हेतु जारी खपत मात्रा				**6602**
अधिक खपत/जारी निर्माण सामग्री				**4299**
क्रय दर				**5**
अधिक भुगतान (4299x 5)				**21495**
कुल अधिक भुगतान				**21495/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता का प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित नेशनल अर्बन रूरल हैल्थ मिशन शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से अधिक मात्रा का निष्पादन दर्शाने के फलस्वरूप **₹21,495/—** के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा किये गये अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाये।

9.3 खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के कारण राशि ₹0.02 लाख की सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 44 व 76 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत का प्रधान और सम्बद्व पंचायत का सचिव पंचायत निधि से उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्वान्तों का अनुपालन करेगें तथा सम्बद्ध पंचायत सचिव किसी भी अति संदाय अधिक भुगतान की वसूली करने हेतु उत्तरदायी होगा।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री **सीमेन्ट** के रूप में अधिक जारी करने के कारण निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार **₹1,840** राशि का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट– 7** पर भी दिया गया है:–

(2)कार्य का नाम :–निर्माण रास्ता श्री रसील चन्द के घर से गाँव घुमारू :-				
स्वीकृत राशि :- ₹2,98,000				
व्यय :- ₹2,18,372				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेन्ट (घन मीटर)
10954 38 से 49	CC 1:3:6 CC 1:5:10	9.83 7.87	4.4 2.60	43 20
योग				**63.00**
बिल संख्या/स्टॉक रजिस्टर पेज संख्या 65 के अनुसार कार्य हेतु जारी खपत मात्रा				**68**
अधिक खपत/जारी निर्माण सामग्री				**5**
क्रय दर				**367.93**
अधिक भुगतान (367.93 x 5)				**1839.65**
कुल अधिक भुगतान				**1840/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता का प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में **₹1,840/–** के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा किये गये अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाये।

10. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियमावली 1997 के नियम 34 के प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र• सं•	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि• प्र• पंचायती राज (वित, बजट, संपरीक्षा,लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002			
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
3	बजट प्राक्कलन	11	37
4	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
5	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	30	89
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
7	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	––	101(2)(v)
हि• प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
2	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34
3	अनुदान रजिस्टर पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997		

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 के माध्यम से अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों का तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी वार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45/2025 दिनांक 06.05.2025 की अनुपालना में पत्र संख्या 45/2025 दिनांक 08.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण

अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्षः–** लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

04 AUG 2025

का प्रति०

5123 – 5127

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(6)130/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

04 AUG 2025

का प्रति

परिशिष्ट " 1 " पैरा संख्या " 4 " में संदर्भित

ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	600612.00	90507.90	691119.90	86537.00	604582.90

15 वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	546624.40	635622.00	1182246.40	658489.46	523756.94

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1448027.26	5805314.50	7253341.76	6431147.70	822194.06

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	2595263.66	6531444.40	9126708.06	7176174.16	1950533.90

Diff	0.00

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

Annexure परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

SR.NO	PARTICULARS	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	स्व: स्त्रोत	600612.00	90507.90	691119.90	86537.00	604582.90
2	अनुदान (प्लानिंग)	84133.00	585322.00	669455.00	582008.00	87447.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	7275.80	220.00	7495.80	0.00	7495.80
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	18962.00	1640.00	20602.00	0.00	20602.00
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना VKVNY	54001.20	58780.50	112781.70	93302.10	19479.60
6	केंद्रीय राहत कोष CRF	123612.36	41577.00	165189.36	156015.50	9173.86
8	स्वच्छ भारत मिशन SBM PFMS	0.00	72000.00	72000.00	72000.00	0.00
9	नेशनल रुरल हैल्थ मिशन	124408.90	0.00	124408.90	124408.90	0.00
10	मुख्य मंत्री आवास योजना MMAY	1994.00	60.00	2054.00	0.00	2054.00
11	विकास में जन सहयोग योजना	5571.00	168.00	5739.00	0.00	5739.00
12	वालिका गौरव पुरस्कार योजना	1028069	29688.00	1057757.00	387554.20	670202.80
13	15 वां वितायोग	546624.40	635622.00	1182246.40	658489.46	523756.94
14	मनरेगा	0.00	5015859.00	5015859.00	5015859.00	0.00
Total		2595263.66	6531444.40	9126708.06	7176174.16	1950533.90

Secretary Gram Panchayat Patnaun Dev. Block Bamsan Distt. Hamirpur (H.P.)

17

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 से सदर्भित

ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089005916	604452.90
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089009342	87447.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक पंजोत	50059054229	7495.80
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	के सी सी बैंक पंजोत	50059595509	20602.00
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052466489	19479.60
6	केंद्रीय राहत कोष CRF	के सी सी बैंक टौनी देवी	500524503	9173.86
7	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना MMAY	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052466081	2054.00
9	विकास में जन सहयोग योजना	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052466478	5739.00
10	वालिका गौरव पुरस्कार योजना	के सी सी बैंक पंजोत	50075672167	670202.80
11	15 वां वितायोग	के सी सी बैंक पंजोत	50072031374	523756.94
12	हस्तगत राशि			130.00
Total				**1950533.90**

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

18

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	हस्तगत राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	रोकड़ बहियों का शुद्ध अंत शेष (₹) (7-6)	अंतर (₹) (5-8)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089005916	604452.90	130.00	604582.90	604452.90	0.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089009342	87447.00	0.00	87447.00	87447.00	0.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक पंजोत	50059054229	7495.80	0.00	7495.80	7495.80	0.00
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	के सी सी बैंक पंजोत	50059595509	20602.00	0.00	20602.00	20602.00	0.00
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052466489	19479.60	0.00	19479.60	19479.60	0.00
6	केंद्रीय राहत कोष CRF	के सी सी बैंक टौनी देवी	500524503	9173.86	0.00	9173.86	9173.86	0.00
7	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना MMAY	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052466081	2054.00	0.00	2054.00	2054.00	0.00
9	विकास में जन सहयोग योजना	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052466478	5739.00	0.00	5739.00	5739.00	0.00
10	वालिका गौरव पुरस्कार योजना	के सी सी बैंक पंजोत	50075672167	670202.80	0.00	670202.80	670202.80	0.00
11	15 वां वितायोग	के सी सी बैंक पंजोत	50072031374	523756.94	0.00	523756.94	523756.94	0.00
कुल योग				1950403.90	130.00	1950533.90	1950403.90	0.00

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 1.4 पैरा संख्या 4 मे सदर्भित

ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	1950533.90
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	1950533.90
अन्तर		**0.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	604582.90
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	822194.06
3	15 वां वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	523756.94
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का कुल अंतिम शेष	1950533.90
6	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	1950533.90
अंतर		**0.00**

Secy. Gram Panchayat Patnaun
Dev. Blk. Bamsan
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	0	493	50	24650	24650	24650	**0**

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	Akshay Kumar s/o vijay Kumar	18.04.2024	02.05.2024	467588	200	200	0
2	Shubham Kumar s/o Rakesh Kumar	05.11.2024	23.11.2024	467573	200	200	0
Total					400	400	0

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित						
ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर						
आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)						
SCHEME	**NAME OF WORK**	**VOUCHE No**	**NAME OF VENDER**	**MATERIALS**	**Qty**	**Total**
Mnrega	C/o Pacca Danga Bachitar Singh S/o Roshan Lal Baderu	421	Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6855
		419	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
Mnrega	C/o Pacca Danga Mukesh S/o Mal Ram Baderu	414	Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6902
			Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
Mnrega	C/o Pacca Danga Barfi W/o Jaisi Ram Dhar	420	Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
		423	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.62	7384
Mnrega	C/o Pacca Danga Babu Lal S/o Kanshi Ram Lagwalbasti	408	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pacca Danga Anuj Rana S/o Ranjit Singh Lagwalbasti	413	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	~~5.65~~	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.6	6852
Mnrega	C/o Pacca Danga Ajay Kumar S/o Dalip Chand Baderu	428	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	4.6	6531
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pacca Danga Rekha Devi W/o Karam Chand Dhar	415	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pacca Danga Santosh Kumar S/o Jagdish Chand Patnaun	416	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pacca Danga Kuldip Singh S/o Jagdish Chand Patnaun	417	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pacca Danga Basant Ram s/o Choudhary Ram Lagwalbasti	407	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pacca Danga Puran Chand S/o Diwan Chand Lunger	418	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pucca Danga near The House Of Ajay Kumar S/o Subhash Chand Patnaun	403	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5	7100
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5	6150
Mnrega	C/o Pucca Danga near The House Of Usha Devi W/o Kulveer Singh Patnaun	404	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5	7100
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5	6150
Mnrega	C/o pucca Danga Near the house of Goldy S/o Baldev Singh Baderu	406	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.6	6900
Mnrega	Upgradation of path with Paver from Subhash chand House to Kamaljeet House	424	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	9.3	13206
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	12.85	15805
Mnrega	C/o Path From Surender Singh Shop To Peeple Trees lunger	222	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5.65	8023
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	5.65	6950
Mnrega	C/o Pucca Path with suraksha daeewar Near Panchyat Ghar Patnaun	401	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	10	14200
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	21.91	26949
Mnrega	C/O Path and Retaining Wall from house of Prem Chand towards Baldev Chand house Village Ghumaru	402	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	15	21300
		405	Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	12.32	15153
		409	Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	10.27	12632
Mnrega	C/O Path with breastwall from house of Rattani Devi House towards Bakshi Ram house Lagwalbasti	410	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	9	12870
			Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	12	14760
Mnrega	C/o Pucca Danga Rakesh Kumar S/o Deena Nath Dhar	096	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pucca Danga Ruma Devi W/o Birbal Singh Baderu	088	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5380
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/O Pacca Danga Suresh Kumar S/O Gopala Ram Village Lagwalbasti	084	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5380
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

Mnrega	c/o Pucca Danga Vinod Kumar s/oJagdish kumar Patnaun	034	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Suresh S/o Kalidass Baderu	95	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Roop Lal S/o Sher Singh Patnaun	058	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Om Parkash S/o Surjan Ram Lagwalbasti	094	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Vinod Kumar S/o Gian Chand Baderu	087	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5895
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Rajesh Kumar S/o Jai Gopal Ward No 3	074	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5895
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Sheela Devi W/o Prem Chand Patnaun	069	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Sandla Devi W/o Nanak Chand Dhar	077	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Kishori Dev S/o Gian Chand Baderu	070	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pacca Danga Kehar Singh S/o Jaisi Ram Ghumaru	92	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Path From Sushil Kumar House to Khareed Baderu	003	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
Mnrega	C/o Pucca Path with suraksha daeewar Near Panchyat Ghar Patnaun	097	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
			Vinod Kumar Govt. Conctractor	Aggregate	5	4895
CRF	C/o retaining wall near the GPS Patnoun	098	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	5	5395
				Aggregate	5	4895
		211	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5	7100
				Aggregate	10	12300
CRF	C/o retaining wall near the H/o Raj Kumar and Keher Singh village Ghumaru	201	Arun Kumar Govt Contractor	Sand	5	7100
				Aggregate	5	6150
		223	Arun Kumar Govt Contractor	Aggregate	11.3	13899
CRF	C/O tOILET WITH R/WALL AND ROOF NEAR HSC PATNOUN	089	Vinod Kumar Govt. Conctractor	Sand	2.5	2697
				Aggregate	2.5	2447
		028		WASHED SAND	5	5895
Total						**588800**

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Arun Kumar Govt. Contractor village Lagwalbasti P.O. Patnoun	Sand and Aggregate	465108	9302.16
कुल योग					**9302.16**

Secretary
Gram Panchayat Patnoun
Dev. Block Bamson
Distt Hamirpur (H.P.)

25

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर					
औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय					
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	नेशनल रुरल हैल्थ मिशन	21.05.2024	निर्माण हैल्थ सर्विस सेंटर पटनौण,	लोहे का सामान	22041.00
कुल योग					**22041.00**

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.2, 9.3 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत पटनौण, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण टॉइलेट, सुरक्षा दीवार नजदीक हैल्थ सेंटर पटनौण,				
स्वीकृत राशि -591496 /-				
कुल खर्च राशि - 591496 /-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	रूपांतरण कारक	शटरिंग (वर्ग फुट)
MB-3520 56-61	शटरिंग	214.02	10.76	2303
Total				2303
बिल संख्या-90,91 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				6602
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				4299
क्रय दर				5
अधिक भुगतान				21495
कुल अधिक भुगतान राशि				**21495**

2. निर्माण कार्य का नाम :- रास्ता रसिल चंद के घर से घुमारू				
स्वीकृत राशि -298000/-				
कुल खर्च राशि -218372/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	सीमेंट
MB-10954 38-49	1:3:6 1:5:10	9.83 7.87	4.4 2.60	43 20
Total				63.00
बिल संख्या/ स्टॉक रजिस्टर पेज न० 65 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				68
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				5
क्रय दर				367.93
अधिक भुगतान				1839.65
कुल अधिक भुगतान राशि				**1840**

Secretary
Gram Panchayat Patnaun
Dev. Block Bamson
Distt. Hamirpur (H.P.)